पत्रांक--8 / सु.अ.15--45 / 06--

बिहार सरकार

<u>कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग</u>

प्रेषक,

अफज़ल अमानुल्लाह
प्रधान सचिव
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग एवं गृह विभाग

सेवा में,

<u>सभी जिला पदाधिकारी</u>

सभी पुलिस अधीक्षक

पटना, दिनांक-- दिसम्बर, 2007

विषयः-- सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना माँगने वाले आवेदकों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा--107 में फँसाने अथवा भय दिखाने इत्यादि के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सरकार को यह सूचना मिल रही है कि जब सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना माँगने के लिए जिला कार्यालय में अथवा प्रखण्ड / थाना / अस्पताल / पंचायत इत्यादि में लोग जाते हैं तो उन्हें उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत पूरी सूचनायें उपलब्ध तो नहीं करायी जाती है, बल्कि उन्हें प्रताड़ित किया जाता है । कुछ ऐसे मामले भी प्रकाश में आये हैं जिनमें आवेदकों के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा--107 के तहत कार्रवाई भी की गई है । सरकार ने इसे बहुत ही गंभीरता से लिया है । जो मामले सरकार के सामने प्रकाश में आये हैं, उनकी जॉच करायी जायेगी और दोषी पाये जाने वाले पदाधिकारी / कर्मचारी को कठोरतम सजा दी जायेगी ।

आप सभी अपने अधीनस्थ कार्यालयों को इस हेतु सतर्क एवं सचेष्ट कर दें ।

विश्वासभाजन,
ह0 / --
(अफजल अमानुल्लाह)
प्रधान सचिव

ज्ञाप संख्या--8 / सु.अ.15--45 / 06-- 12433 पटना, दिनांक 19 दिसम्बर, 2007

प्रतिलिपि-- सभी प्रधान सचिव / सचिव / विभागाध्यक्ष / प्रमंडलीय [illegible] महानिरीक्षक / क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक को [illegible]